संख्या– 809/नौ–9–2020–70ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त, नगर आयुक्त, नगर निगम/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2020

विषय–प्रदेश के 14 शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु चार्जिंग डिपो बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त प्रकरण में दिनांक 18.04.2020 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेन्स में हुए विचार विमर्श का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग डिपो के निर्माण में सम्मिलित विभिन्न कम्पोनेन्ट यथा शौचालय, बाउण्ड्री वाल, चार्जिंग शेड, कार्यालय भवन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के निर्माण स्मार्ट सिटी योजना अथवा किसी अन्य प्रचलित विभागीय योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर पूर्ण कराये जांय। तदक्रम में कतिपय स्मार्ट सिटी शहरों द्वारा चार्जिंग डिपो स्थापना का कार्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में समस्त 14 शहरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिये सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार किये गये आगणन के अनुसार कुल रू0 339.37 करोड़ की धनराशि आंकलित की गयी थी। प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त केवल आधारभूत सुविधाओं के साथ चार्जिंग डिपो विकसित करने के लिये सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा पुनरीक्षित आगणन तैयार कराया जा रहा है।

2. स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत ऐसी सक्षम गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की जानी है जो हरित ईंधन आधारित, पर्यावरण अनुकूल एवं शून्य उत्सर्जन वाली तथा प्रदूषण रहित हो। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन स्मार्ट सिटी की इन अनिवार्यताओं को पूर्ण करता है। विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग डिपो की स्थापना हेतु इसके विभिन्न कम्पोनेन्ट का कार्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत कराया जा सकता है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजना के महत्वपूर्ण घटक "अर्बन मोबिलिटी" के अन्तर्गत पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण रहित वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु चार्जिंग डिपो का निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी योजना के प्राविधानों का परीक्षण कर उसके अन्तर्गत कराने पर विचार कर लें। उक्त कार्यवाही सुनियोजित एवं समयबद्ध ढंग से प्रत्येक दशा में माह अक्टूबर 2020 तक पूर्ण की जानी है। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता पर उक्त चार्जिंग डिपो के निर्माण का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ एवं झांसी, उ0प्र0।
3. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/सेवा प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ एवं झांसी।
7. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

12.05.20

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner